फर्द अहकाम
(नियम 26)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

सदासुख बनाम श्योकरणराम वगैरा
किस्म मुकदमा:–251–क आर.टी.ए. प्रकरण संख्या:– 47/2025 (2025/142)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.12.2025	पत्रावली प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी के निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुऐ निवेदन किया कि प्रकरण के अप्रार्थी नं0 02 व 03 का देहान्त हो चुका है जिसकी जानकारी प्रार्थी को अप्रार्थीगण को भेजे गए, नोटिसो से हुई व अब जानकारी मिलते ही बिना किसी देरी से प्रार्थना पत्र पेश कर दिया है। इसलिए अप्रार्थी नं0 02 व 03 के वारिसो को प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया जावे। कानूनी नजीर डी.एन.जे. 2022(1)रेवेन्यू, पेज न. 750 प्रस्तुत की। वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुऐ निवेदन किया कि अप्रार्थी नं0 02 रामरतन दिनांक 10.01.2018 को व अप्रार्थी नं0 03 सोहनलाल दिनांक 06.10.2023 को फौत हो चुका था जो प्रकरण दर्ज होने से रामरतन करीब 7 वर्ष पूर्व व सोहनलाल करीब 17 माह पूर्व फौत हो चुका है। प्रार्थी, अप्रार्थी का खेत पड़ौसी है। जिसको इनकी मृत्यु को विधिवत जानकारी थी यह प्रकरण ही बेसुद है तथा कानूनी नजीर आर.आर.टी. 2016(2) पेज न. 1200 के अनुसार मरे हुऐ व्यक्ति के विरूद्ध पेश दावा में आदेश 22 नियम 4 सीपीसी के प्रावधान लागू नही होता तथा प्रार्थी ने ना तो मियाद माफी का प्रार्थना पत्र पेश किया व ना ही आदेश 22 नियम 9 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया इसलिए प्रथम दृष्टया प्रकरण मृतक के विरूद्ध पेश होने से **नल एण्ड वॉइड एब इनिशियो** होने से आदेश 22 नियम 4 सीपीसी के प्रावधानो से कवर नही होता है। इसलिए प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जावे। कानूनी नजीर आर. बी.जे. 2021 पेज 117 पेश की। उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में अप्रार्थीगण के खिलाफ दिनांक 23.09.2024 को पेश किया। जिस पर तहसीलदार सूरतगढ से रिपोर्ट प्राप्त होने पर यह प्रकरण दिनांक 03. 03.2025 को दर्ज रजिस्टर किया गया जबकि अप्रार्थी नं0 02 रामरतन दिनांक 10.01. 2018 को व अप्रार्थी नं0 03 सोहनलाल दिनांक 06.10.2023 को फौत हो चुका है। जो मृत्यु प्रमाण पत्र से साबित है तथा प्रार्थी ने मृतक के वारिसो को पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र दिनाक 28.04.2025 को पेश किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र का स्वतः अबैटमेन्ट निरस्ती का प्रार्थना पत्र भी पेश नही किया है। चूंकि: प्रकरण पेश होने से व दर्ज होने से पूर्व ही यानि अप्रार्थीगण नं0 02 रामरतन दिनांक 10.01.2018 को व अप्रार्थी नं0 03 सोहनलाल दिनांक 06.10.2023 को फौत हो चुके थे। जिनके खिलाफ वाद कारण पैदा नही होता है। यह प्रकरण मरे हुऐ व्यक्तियों के खिलाफ पेश हुआ है। इसलिए इस प्रकरण पर आदेश 22 नियम 4 सीपीसी के प्रावधान लागू नही होते है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नही है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कानूनी जैर के तथ्य भिन्न होने से लागू नही होते। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी को खारीज कर प्रकरण मृतको के विरूद्ध पेश होने से वाद कारण पैदा नही होने से इसी स्तर पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.12 16:08:36 IST
Reason: SelfAttested

(भरत जय प्रकाश मीना)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)